

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	75.00	6.01	81.01	75.00	5.79	80.79	75.00	5.84	80.84	
	
	75.00	6.01	81.01	75.00	5.79	80.79	75.00	5.84	80.84	
1 सचिवालय - आर्थिक सेवाएं मछली पालन	3451	9.50	4.10	13.60	4.30	3.90	8.20	5.30	4.00	9.30
2. समुद्री मछली पालन	2405	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00
खाद्य, भंडारण और भांडागार										
3. खाद्य, भंडारण और भाण्डागारण के अन्य कार्यक्रम										
3.01 चावल मिलों के आधुनिकीकरण करने के लिए अनुदान	2408	...	0.33	0.33	...	0.31	0.31	...	0.29	0.29
3.02 बागवानी आधारित उद्योग के लिए अनुदान	2408	18.50	1.58	20.08	23.70	1.58	25.28	25.70	1.55	27.25
3.03 दुग्ध आधारित उद्योगों के लिए अनुदान	2408	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	7.50	...	7.50
जोड़ खाद्य भंडारण और भाण्डागारण के अन्य कार्यक्रम		29.00	1.91	30.91	34.20	1.89	36.09	33.20	1.84	35.04
4. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50
कुल जोड़		75.00	6.01	81.01	75.00	5.79	80.79	75.00	5.84	80.84
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़

ग. आयोजना परिव्यय										
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	13451	9.50	...	9.50	4.30	...	4.30	5.30	...	5.30
2. मत्स्य पालन	12405	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00
3. खाद्य, भंडारण और भाण्डागार	12408	29.00	...	29.00	34.20	...	34.20	33.20	...	33.20
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50
जोड़		75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00

1. इसमें मंत्रालय के सचिवालय पर होने वाले व्यय और संस्थाओं के लिये सहायता के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **मत्स्यपालन:** यह प्रावधान मत्स्य प्रसंस्करण की परम्परागत प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने, विपणन, कम मूल्य वाली मछलियों के उपयोग और उसके मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करने तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए है।

3. यह प्रावधान (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन की स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों

की स्थापना एवं आधुनिकीकरण (ii) अग्र एवं पशु एकीकरण और अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलापों की स्कीम और (iii) मानव संसाधन विकास स्कीम और गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकीकरण तथा अनुसंधान एवं विकास के लिये अनुदानों के रूप में सहायता देने हेतु, चावल मिलिंग सेल की स्थापना पर व्यय के लिये किया गया है।

5. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं में एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।